रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 8, 2011/आषाढ़ 17, 1933
No. 151] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 8, 2011/ASADHA 17, 1933

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2011

फा. सं. 23/2/2005-आर एंड आर (खंड-V).— विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रशुल्क नीति अधिसूचित करते हुए भारत के राजपत्र(असाधारण), भाग-1, खंड-1 में प्रकाशित इस मंत्रालय के दिनांक 6 जनवरी, 2006 के संकल्प फा0सं0 23/2/2005-आर एंड आर (खंड-III), जिसे बाद में दिनांक 31 मार्च, 2008 और दिनांक 22 जनवरी, 2011 के संकल्प द्वारा संशोधित किया गया था, में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन किया गया है-

निम्नलिखित प्रावधान पैरा 5.1 के प्रावधान को प्रतिस्थापित करेंगे-

जल विद्युत परियोजना के विकासकर्ता के पास, यदि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है, सेवा विनियमों के कार्य निष्पादन आधारित लागत के आधार पर उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारण कराने का विकल्प होगा।

निम्नलिखित प्रावधान पैरा 5.1 के उप पैरा (ग) के प्रावधान को प्रतिस्थापित करेंगे-

ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के साथ सीईए की सहमति (यदि अधिनियम की धारा 8 के अधीन अपेक्षित है), वित्तीय बंदी, कार्य के अवार्ड तथा नीचे (घ) में विनिर्दिष्ट क्षमता के दीर्घावधि विद्युत क्रय करार (पीपीए) (35 वर्ष से अधिक के) का काम 31.12.2015 तक पूर कर लिया जाना है ।

निम्नलिखित प्रावधान पैरा 7.1 के उप पैरा (6) और (7) के प्रावधानों को प्रतिस्थापित करेंगे-

7.1 (6) सीटीयू/एसटीयू समेत पारेषण विकासकर्ता द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए निवेश आमंत्रित किया जाएगा । केंद्रीय सरकार ने पारेषण सेवा के लिए दिनांक 13 अप्रैल, 2006 की राजपत्र अधिसूचना के तहत टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली संबंधी दिशानिर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं ।

सीटीयू/एसटीयू द्वारा विकसित की जाने वाली परियोजनाओं के टैरिफ भी पांच वर्ष की अवधि के उपरांत या जब विनियामक आयोग इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी प्रतिस्पर्द्धा लागू करने की सही स्थिति बन गई है (जैसा क पैरा 5.1 में संदर्भित है) प्रतिस्पर्द्धी बोली के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे ।

लेकिन निम्नलिखित मामलों में प्रतिस्पर्द्धी बोली मार्ग से छूट को अपनाया जा सकता है:

(i) 1200 केवी एचवीडीसी लाइन के लिए प्रथम दो प्रयोगात्मक कार्य।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा मामला दर मामला आधार पर यथा विनिश्चय सीटीयू/एसटीयू तात्कालिक स्थिति से निपटने के लिए किए जाने वाले अपेक्षित कार्य या जो कि एक कम्प्रेस्ड समय-सीमा में किए जाने अपेक्षित हैं ।

(iii) एसटीयू द्वारा अंतर-राज्यिक पारेषण परियोजनाओं को तारीख 6.1.2011 से आगे और 2 वर्ष के लिए प्रतिस्पर्द्धी बोली मार्ग से छूट होगी ।

धारा 7.1(7) अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए फ्रेमवर्क पर **सीईआरसी के विनियामक के प्रभावी होने के उपरांत**, एसईआरसी द्वारा वोल्टेज, दूरी, दिशा और प्रवाह की मात्रा जैसे कारकों पर विधिवत विचार करते हुए अगले दो वर्षों में अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए समान दृष्टिकोण का क्रियान्वयन करना चाहिए ।

2. ये प्रावधान दिनांक 6.1.2011 से लागू होंगे ।

अशोक लवासा, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 8th July, 2011

F.No.23/2/2005-R&R(Vol.V) —In this Ministry's Resolution F.No. 23/2/2005-R&R(Vol.III) dated 6th January, 2006 published in the Gazette of India (Extraordinary), Part I, Section 1, notifying the Tariff Policy under the provisions of Section 3 of the Electricity Act, 2003, which was subsequently amended vide Resolution dated 31st March, 2008 and Resolution dated 22nd January, 2011 the following amendment are hereby made:

The following provisions will replace the proviso para of para 5.1:

Provided that a developer, of a hydroelectric project, would have the option of getting the tariff determined by the appropriate Commission on the basis of performance based cost of service regulations if the following conditions are fulfilled:

The following provisions will replace the sub para (c) of para 5.1:

c) Concurrence of CEA (if required under Section 8 of the Act), financial closure, award of work and long term Power Purchase Agreement (PPA) (of more than 35 Years) of the capacity specified in (d) below with distribution licensees are completed by 31.12.2015.

The following provisions will replace sub para (6) and (7) of para 7.1:

7.1(6) Investment by transmission developer including CTU/STUs would be invited through competitive bids. The Central Government has already issued tariff based competitive bidding guidelines for transmission service vide Gazette Notification dated 13th April, 2006.

The tariff of the projects to be developed by CTU/STU after the period of five years or when the Regulatory Commission is satisfied that the situation is right to introduce such competition (as referred to in clause 5.1) would also be determined on the basis of competitive bidding.

However, in the following cases the exemptions from competitive bidding route may be adopted:

(i) First two experimental works for 1200 KV HVDC line.
(ii)Works required to be done to cater to an urgent situation or which are required in a compressed time schedule by CTU/STUs as decided by the Central Government on a case to case basis.
(iii) The intra-state transmission projects by STUs will be exempted from competitive bidding route for further 2 years beyond 6.1.2011.

7.1(7) After coming into effect of the CERC Regulation on framework for the inter-State transmission, a similar approach should be implemented by SERCs in next two years for the intra-State transmission, duly considering factors like voltage, distance, direction and quantum of flow.

2. These provisions shall come into force with effect from 6.1.11.

ASHOK LAVASA, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.